

भूमि 1998 के अधिनियम के अंतर्गत


राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

∴ आदेश ∴ प्रशासन गांधी के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेलिमा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् का खेड़ा 2073-2076 में खाता संख्या 171, 172 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम                 | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1           | 2                     | 3           | 4                          | 5  |
| 1           | बेलिमा<br>का<br>खेड़ा | 171<br>172  | सोनू पुत्री भैरु सिंह      | सुनिता कंवर पुत्री<br>भैरु सिंह                              |


  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 51

दिनांक:- 11/11/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुनिता कंवर पुत्री भैरु सिंह

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

